न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

संख्याः—116 / 2020 पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

1 दर्शन सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2 जसपाल सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
3 गुरपाल सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
4 जसवीर सिंह पुत्र स्व0 सरजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरदेव सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
5 जगरूप सिंह पुत्र स्व. सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
6 कर्मजीत कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति नाई सिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़
7 परमजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री सरजीत सिंह) धर्मपत्नी श्री बेअन्त सिंह जाति नाईसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

बनाम्

गुलजार सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह जाति नाईसिख निवासी भाखंरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
दलवारा सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
जसवीर कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री मुखत्यार सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह
परमपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मुखत्यार सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह
प्रीतपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मुखत्यार सिंह पुत्र स्व0 श्री चंद सिंह
जाति नाईसिख निवासीगण किंगरा, तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
रानी कौर (पुत्री स्व0 श्री मुखत्यार सिंह) धर्मपत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति नाईसिख निवासी पक्का कलां, तहसील गिदड़वाहा, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)।
परमजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री मुखत्यार सिंह) धर्मपत्नी श्री गुरदित्ता सिंह जाति नाईसिख निवासी अरायकें कलां, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
हरपाल कौर (पुत्री स्व0 श्री मुखत्यार सिंह) धर्मपत्नी श्री अंग्रेज सिंह जाति नाईसिख निवासी पयौरी तहसील गिदड़वाहा, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)।
जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
कलवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
हरबंश सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
जसपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह फौत
13/1 मनजीत कौर पत्नी जसपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह
13/2 अमरिंदर सिंह पुत्र जसपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह
नक्षत्र सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
बलदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह
जाति नाईसिख निवासीगण किंगरा, तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

मखन सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह जाति नाईसिख निवासी लीलांवाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
एसबीआई बैंक शाखा लीलांवाली
ओबीसी बैंक शाखा दीनगढ

— प्रतिवादीगण

—तरतीबी प्रतिवादी

स्थित :—

1. श्री लालचंद वर्मा — अधिवक्ता वादीगण
2. श्री कैलाश मुंजाल प्रतिवादी सं. 1 ता 15, 17

3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 16

—:निर्णय:—

दिनांक 3.5.24

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण संख्या 1 से 7 व प्रतिवादी संख्या 17 स्व0 श्री गुरदेव सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 स्व0 श्री चंद सिंह पुत्र श्री हरदत्त सिंह के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 स्व0 श्री अंग्रेज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत्त सिंह के वारिसान है।

यह कि स्व0 श्री हरदत्त सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह पुत्र श्री काला सिंह का पैतृक गांव किंगरा तहसील मुक्तसर जिला फरीदकोट (वर्तमान जिला मुक्तसर साहिब) था। गांव किंगरा की खेवट नंबर 67/63 व 163/136 में स्व0 श्री हरदत्त सिंह की कुल 45 कनाल भूमि थी जो उनकी मृत्यु उपरान्त उनके तीन वारिसान स्व0 श्री गुरदेव सिंह, स्व0 श्री चंद सिंह व स्व0 श्री अंग्रेज सिंह को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट संख्या 67/63 व 163/136 सन् 1981—82 गांव किंगरा तहसील मुक्तसर जिला फरीदकोट संलग्न वादपत्र है।

यह कि उक्त पैतृक सम्पति के अलावा तहसील हनुमानगढ़ के चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. के संयुक्त खाता तादादी 19.987 हैक्टेयर में गुरदेव सिंह, चंद सिंह व अंग्रेज सिंह की बहिस्सा बराबर 4.997 हैक्टेयर अर्थात् 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2048 संलग्न वादपत्र है।

यह कि स्व0 श्री चंद सिंह व अंग्रेज सिंह का चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. की उक्त 4.997 हैक्टेयर भूमि में बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा अर्थात् 3.331 हैक्टेयर अर्थात् लगभग 13 बीघा 3 बिस्वा का हिस्सा था। स्व0 श्री चंद सिंह व अंग्रेज सिंह ने अपने उक्त 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि अपने पास रखकर शेष 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का मौखिक तबादला गांव किंगरा की कुल 45 कनाल भूमि के साथ किया तथा गांव किंगरा की स्व0 श्री गुरदेव सिंह के हिस्सा की 15 कनाल सहित कुल 45 कनाल भूमि अपने पास रखना तय किया व चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. की कुल 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि जो कब्जा अनुसार पत्थर नंबर 146/220 के किला नंबर 18—19—20 कुल 3 बीघा भूमि अपने पास रखते हुए शेष 16 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 4.238 हैक्टेयर भूमि स्व0 श्री गुरदेव सिंह को तबादला में देना स्वीकार किया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 के पूर्वज स्व0 श्री गुरदेव सिंह तभी से उक्त 4.238 हैक्टेयर भूमि पर काबिज चले आये तथा स्व0 श्री चंद सिंह व अंग्रेज सिंह के देहान्त उपरान्त उनके वरिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ने भी इस तबादला को स्वीकार व अंगीकार किया तथा शेष 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 146/230 (28) के किला नंबर 18, 19, 20 कुल 3 बीघा भूमि को बहिस्सा बराबर काश्त व हिस्सा—ठेका पर देते रहे है।

यह कि उक्त तबादला के अनुसरण में स्व0 श्री गुरदेव सिंह व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 ने पैतृक गांव किंगरा की कुल 45 कनाल भूमि में अपना 1/3 हिस्सा आज तक क्लेम नहीं किया है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 के उक्त 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ही काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि उक्त तबादलानामा दिनांक 17.02.1983 की रूह से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 चक 5 एल.एल.डब्लयू. की गुरदेव सिंह, चंद सिंह व अंग्रेज सिंह के हिस्सा की कुल 4.997 हैक्टेयर भूमि में से 4.238 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 67/67 सम्वत् 2076—2079 तादादी 19.987 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 का 1.666 हैक्टेयर की बजाय 4.238 हैक्टेयर भूमि का खातेदारी हक है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की 0.380 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 10 से 15 की 0.379 हैक्टेयर [illegible] खातेदार है तथा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 गुलजार सिंह, [illegible] सिंह, रणजीत सिंह पिसरान चंद सिंह का 1.250 हैक्टेयर की बजाय 0.285 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 का 0.416 हैक्टेयर की बजाय 0.095 हैक्टेयर का ही खातेदारी हक है व इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 10 से 15 का 1.665 हैक्टेयर की बजाय 0.379 हैक्टेयर का खातेदारी हक है।

यह कि प्रतिवादीगण ने सदैव इस मौखिक तबादला को स्वीकार व अंगीकार किया है तथा अब लगभग 37 वर्ष पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा तबादला में प्राप्त भूमि को अपनी मेहनत, श्रम व साधनों से उपजाऊ बना लेने के कारण लालचवश होकर इस तबादला के विपरीत आचरण करने लगे है। प्रतिवादीगण को यह हक हासिल नहीं है कि वे अपने पूर्वजो द्वारा किये गये बंटवारा अथवा तबादला के विपरीत आचरण करे। प्रतिवादीगण के उक्त गलत व विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

(6)

आचरण से वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। इस कारण वादीगण उक्तानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है।

यह कि प्रतिवादीगण का प्रश्नगत भूमि चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. में राजस्व अभिलेख में अंकित अनुसार कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उनके कब्जा में मात्र 3 बीघा भूमि ही है लेकिन वे गत एक माह से कब्जा ना होते हुए राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की धमकी देने लगे है। प्रतिवादीगण को उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपरिमेय क्षति होगी तथा मुकदमाबाजी बढ़ेगी। इन परिस्थितियों में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि वे प्रश्नगत भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 के कब्जा काश्त की 4.238 हैक्टेयर भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 से निवेदन किया कि वे अपने पूर्वजो द्वारा किये गये तबादला को स्वीकार व अंगीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 का 4.238 हैक्टेयर के खातेदार होना स्वीकार कर लेवें तथा तद्‌नुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करवा देने में सहमति दे देवें तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 16 प्रश्नगत भूमि का भू–धारक है, इस कारण आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 17 वरवक्त दायरी दावा वादीगण के साथ शामिल नहीं हो सका है। यह वादपत्र प्रतिवादी संख्या 17 के हितो के लिए भी प्रस्तुत किया जा रहा हैं, वह चाहे तो तौर वादी पक्षान्तरित हो सकता है।

यह कि वादपत्र वादीगण खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्याायलय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में स्थित है। अतः यह वादपत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो 2/–रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है तथा हर प्रकार से अन्दर मियाद है।

अतः वादपत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावें :–

(क) कि घोषणा फरमाई जावे कि चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 67/67 सम्वत् 2076–2079 तादादी 19.987 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 4 से 7 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा दर 4.238 हैक्टेयर के खातेदार है व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा दर 0.380 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 10 से 15 बहिस्सा बराबर 0.379 हैक्टेयर के खातेदार है व मुताबिक घोषणा राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 के नाम दर्ज प्रविष्टि 1.666 हैक्टेयर को विलोपित फरमाई जाकर वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 17 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 4 से 7 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा दर 4.238 हैक्टेयर दर्ज किया जावे व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज प्रविष्टि 1.250 हैक्टेयर व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के नाम दर्ज प्रविष्टि 0.416 हैक्टेयर को विलोपित फरमाई जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा दर 0.380 हैक्टेयर दर्ज फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से 15 के नाम दर्ज प्रविष्टि 1.665 हैक्टेयर को विलोपित फरमाई जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 10 से 15 बहिस्सा बराबर 0.379 हैक्टेयर दर्ज फरमाई जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वे प्रश्नगत भूमि चक 5 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 67/67 सम्वत् 2076–2079 तादादी 19.987 हैक्टेयर में अपने नाम दर्ज भूमि क्रमशः 1.250 हैक्टेयर, 0.416 हैक्टेयर व 1.665 हैक्टेयर को किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 के कब्जा काश्त की 4.238 हैक्टेयर भूमि में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 15, 17 की ओर से अधिवक्ता मोहन मुंजाल ने वकालतनामा पेश किया। वादी व जिसमें उक्त पक्षकारान द्वारा चक 5 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 106/67 तादादी 19.987 है. में से 4.997 है. भूमि के संबध में जमाबंदी में वर्तमान प्रविष्टि क्रम सं. 2, 4, 5, 9 ता 15, 18, 19, 20, 22,

क्टर
कारी

23, 26 30, 33, 35, 36 को विलोपित करते हुए इन प्रविष्टियों में दर्ज कुल रकबा 4.997 है. भूमि वादी सं. 1 ता 3 दर्शन सिंह, जसपाल सिंह व गुरपाल सिंह पि. गुरदेव सिंह 3/5 हिस्सा ब.हि.ब. वादी सं. 4 ता 7 जसवीर सिंह, जगरूप सिंह, कर्मजीत कौर, परमजीत कौर पि. स्व सरजीत सिंह 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 17 मखन सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह 1/5 हिस्सा के काश्तकार घोषित करवाने में सहमति जरिये राजीनामा पेश की है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है किः– चक 5 एल.एल.डब्ल्यू जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. 106/67 तादादी 19.987 है. में से 4.997 है. भूमि की जमाबंदी में वर्तमान प्रविष्टि क्रम सं. 2, 4, 5, 9 ता 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26 30, 33, 35, 36 को विलोपित करते हुए इन प्रविष्टियों में दर्ज कुल रकबा 4.997 है. भूमि वादी सं. 1 ता 3 दर्शन सिंह, जसपाल सिंह व गुरपाल सिंह पि. गुरदेव सिंह 3/5 हिस्सा ब.हि.ब. वादी सं. 4 ता 7 जसवीर सिंह, जगरूप सिंह, कर्मजीत कौर, परमजीत कौर पि. स्व सरजीत सिंह 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 17 मखन सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। कोई स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो नियमानुसार तहसीलदार हनुमानगढ वसूल करे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.24. को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः प्रश्नगत रकबा यदि रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:53 IST
Reason: SelfAttested